संख्या-8/2018/सी0एम0-66/तीन-2017-02(9)/2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3-निबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद/लखनऊ।

सामान्य प्रशासन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक:28 मार्च, 2018।

विषय-: ''डा0 भीमराव अम्बेडकर'' का नाम संशोधित कर ''डा0 भीमराव रामजी आंबेडकर'' करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची (अनुच्छेद-344(1)और-351) भाषाएं में ''डा0 भीमराव अम्बेडकर'' का नाम ''डा0 भीमराव रामजी आंबेडकर'' अंकित है। भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची (अनुच्छेद-344(1)और-351) भाषाएं में अंकित नाम का संज्ञान लेते हुए शासन द्वारा सम्यकविचारोपरान्त उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों में अंकित ''डा0 भीमराव अम्बेडकर'' का नाम संशोधित कर ''डा0 भीमराव रामजी आंबेडकर'' करने का निर्णय लिया गया है

3- उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों में ''डा0 भीमराव अम्बेडकर'' का नाम संशोधित कर ''डा0 भीमराव रामजी आंबेडकर'' करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव,श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग लखनऊ/इलाहाबाद।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ पे्रषित की कृपया इसका प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
हरीराम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।